



दिनांक 20 मार्च, 2017

आदेश

इस सचिवालय के आदेश संख्या-3313(1)/जी0एस0/शिक्षा/C3-7(III) (C16-1)/2016, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद पर की गयी अन्तरिम व्यवस्था को एतद्वारा अतिक्रमित कर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973(यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12(1) के अन्तर्गत कुलाधिपति में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रो0 दिनेश कुमार नौरियाल, डीन स्टुडेन्ट वेलफेयर एवं प्रोफेसर अर्थशास्त्र, आई0आई0टी0, रुड़की को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद पर नियुक्त किया जाता है।

डा0 के0 के0 पाल
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

संख्या- 5160 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C3-7(III)/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. प्रो0 प्रो0 दिनेश कुमार नौरियाल, डीन स्टुडेन्ट वेलफेयर एवं प्रोफेसर अर्थशास्त्र, आई0आई0टी0, रुड़की।
5. प्रो0 नागेश्वर राव, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।
8. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. कुलपति/कुलसचिव, आई0आई0टी0, रुड़की।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव